हदीसे रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

की

अहमियत व ज़रूरत

लेखक :

डॉ0 मुहम्मद हमीदुल्लाह

अनुवाद :

डॉ0 रफ़ीक अहमद

हदीसे नबवी

पैग़म्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्ल० से सम्बन्धित सभी विवरण हदीस के दर्जे में आते हैं, चाहे उसका सम्बंध आप सल्ल० की कही हुयी बातों से हों, चाहे किये गये कार्यों से, चाहे उन बातों या कार्यों से जो आप सल्ल० के सामने हुये और उन पर आप (सल्ल०) ख़ामोश रहे। आप (सल्ल०) यह ख़ामोशी उस कथन या कार्य के किये जाने की अनुमति के समान है।

क़ुरआन मजीद में दर्जनों मुक़ामात पर हदीस की क़ानूनी अहमियत याद दिलाई गयी है।

''..... ऐ ईमान वालों! इताअत (आज्ञापालन) करो अल्लाह तआला की और इताअत करो रसूलुल्लाह सल्ल० की ..... (५९:४)

''..... और रसूल तुम्हें जो दें उसको ले लो और जिस चीज़ से तुमको रोके उससे रुक जाओ.....'' (५९:७)

''और न वह अपनी मर्ज़ी से कोई बात कहते हैं, वह तो

सिर्फ वही (प्रकाशना) है जो उन पर उतारी जाती है।'' (४३:५३)

''यक़ीनन'' तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह सल्ल० में बेहतरीन नमूना मौजूद है हर उस शख्स के लिये जो अल्लाह तआला और क़ियामत के दिन की आशा रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तआला को याद करता है।'' (२१:३३)

''और जिसने रसूल की इताअत की निसन्देह उसने अल्लाह की इताअत की।'' (८०:४)

इसलिये जो भी आप सल्ल० ने फ़रमाया या हुक्म दिया उम्मत की नज़र में उसमे अल्लाह की मर्ज़ी शामिल थी और कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ख़ास मामले पर अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई वही नहीं नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने अपनी समझ और शऊर से काम लेकर अपनी राय ज़ाहिर कर दी। अगर इस राय में अल्लाह तआला की मर्ज़ी शामिल न होती तो उसकी इस्लाह के लिये वहीय का नुज़ूल हो जाता। हदीस की दूसरी अहमियत भी है।

क़ुरआन का अन्दाज़ मुख़्तसर (संक्षिप्त) और मुकम्मल है। आप सल्ल० का मामूल था कि आप क़ुरआन हकीम के एहकाम की वज़ाहत करते और उसकी ज़रुरी तफ़सील और व्याख्या करते। मिसाल के तौर पर क़ुरआन में सिर्फ़ यह हुक्म दिया गया ''नमाज़ क़ायम करो'' मगर नमाज़ का निज़ाम कैसे क़ायम होगा यानी नमाज़ कब, कैसे और कितनी रकअतें अदा की जायें, इस बारे में क़ुरआन मजीद में तफ़सीली जानकारी नहीं दी गयी। आप सल्ल०

ने भी सिर्फ़ अल्फ़ाज़ से नमाज़ पढ़ने की तफ़सील काफ़ी नहीं समझी बल्कि आप सल्ल० ने एक रोज़ फ़रमाया।

''मुझे देखो कि मैं कैसे नमाज़ पढ़ता हूँ और मेरी पैरवी करो।''

मुसलमानों के लिये हदीस की अहमियत इसलिये भी बहुत ज़्यादा है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने न सिर्फ़ ज़िन्दगी के तमाम अहम मामलात में मुसलमानों की फ़िक्री रहनुमाई की बल्कि अपने ज़ाती अमल से भी उसका अमली नमूना पेश किया। नबूवत के पद पर नियुक्त किये जाने के बाद आप सल्ल० की पाकीज़ा ज़िन्दगी का ज़माना २३ वर्ष होता है। आप सल्ल० ने अपनी उम्मत को एक ऐसा मज़हब का तोहफ़ा दिया जिस पर आप सल्ल० ख़ुद पूरे ख़ुलूस के साथ अमल करते रहे। आप सल्ल० ने एक राज्य की भी स्थापना की जिसके हाकिमे आला की हैसियत से आप सल्ल० ने न सिर्फ़ मुल्क के अन्दर अमन और सलामती का माहौल पैदा किया बल्कि बाहरी हमलों से उसे सुरक्षित रखने के लिये सेनाओं का नेतृत्व भी किया। अपनी ''अवाम'' के आपसी विवादों के फ़ैसले भी किये। मुजरिमों को सज़ाऐं भी दीं और ज़िन्दगी के हर क्षेत्र के लिये क़ानून बनाये। आप सल्ल० ने शादियां भी कीं और अपनी उम्मत के लिये अमली ज़िन्दगी का एक नमूना भी छोड़ा। एक अहम बात यह है कि आप सल्ल० ने कभी अपनी ज़ात को क़ानून से ऊपर नहीं रखा। जो क़ानून जिस तरह दूसरों पर लागू था, उसी तरह आप सल्ल० भी उस पर अमल के पाबन्द थे। इसलिये आप

सल्ल० का अमल सिर्फ़ एक निजी मामला नही था बल्कि आप सल्ल० की शिक्षाओं की तफ़सीली व्याख्या का अमली इज़हार था।

मोहम्मद सल्ल० एक फ़र्द की हैसियत से अपने तरीके कार में सावधानी बरतते और एतेदाल (सन्तुलन) का ख़्याल रखते थे। मगर जहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्ल० की हैसियत से आप सल्ल० की ज़िम्मेदारियों का ताल्लुक़ है, आप अल्लाह तआला के पैग़ाम यानी क़ुरआन मजीद को लोगों तक पहुँचाने और उसे असली हालत में सुरक्षित रखने के लिये सारी ज़रुरी और मुम्किन हद तक सारी कोशिशें करते थे।

अगर आप सल्ल० अपने आदेशों को सुरक्षित करने की वैसी ही कोशिशें करते तो आप को कुछ शरारती लोग ख़ुदपसन्द कह सकते थे, इसीलिये हदीस का मामला क़ुरआन मजीद से बिल्कुल अलग है।

सरकारी दस्तावेज़ :

हदीस समूह के कुछ अशं ऐसे हैं कि जिनकी अहमियत इस बात की तकाज़ा करती थी कि उन्हें लिखित रुप में सुरक्षित कर लिया जाए। यह रसूलुल्लाह सल्ल० की ''सरकारी दस्तावेज़ात'' कहलाती हैं।

तारीख़े तबरी की रिवायत है कि जब कुछ मुसलमान कुफ़्फ़ारे मक्का के ज़ुल्म व ज़्यादती से तंग आकर पनाह के लिये

हब्सा (ऐबेसीनिया) जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने उन्हें हब्शा के बादशाह नजाशी के नाम एक सिफ़ारिशी ख़त दिया। इसी तरह के कुछ और दस्तावेज़ात भी हैं जो आप सल्ल० पर सरबराहे रियासत (राज्य प्रमुख) की ज़िम्मेदारियां पड़ीं तो आप सल्ल० के उन पत्रों की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी और उनके मुन्दर्जात की तफ़सील भी बढ़ने लगी।

आप सल्ल० के मदीना आगमन के बाद जल्द ही आप एक राज्य की स्थापना में कामयाब हो गये, जिसमें मदीना के सारे मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम नागरिक शामिल थे। आप सल्ल० ने उस राज्य को एक लिखित संविधान दिया जिसमें आप सल्ल० ने राज्य प्रमुख और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट रुप से बयान कर दिया और राज्य की संस्थाओं की कार्यशैली भी निश्चित कर दिया। यह दस्तावेज़ इतिहास के पन्नों में अंकित हैं। आप सल्ल० ने इस राज्य की सीमाओं को भी लिखित रुप में निर्धारित कर दिया। इसी ज़माने में आप सल्ल० ने मदीना के मुसलमानों की जनगणना का रिकार्ड तैयार करने का आदेश दिया और बुख़ारी की रिवायत के अनुसार इस गणना के नतीजे में ज़ाहिर हुआ कि मुसलमानों की तादाद मदीना में १५०० है।

इसके अलावा रसूलुल्लाह ने विभिन्न अरब क़बीलों के साथ सहयोग और शान्ति के मुआहेदे किये। कभी-कभी इन मुआहेदों की दो-दो प्रतियां तैयार की गईं और दोनों पक्षों ने एक-एक प्रति अपने पास सुरक्षित कर ली। इताअत क़ुबूल कर

लेने वाले कुछ सरदारों को सुरक्षा की ज़मानत देने और उनकी जायदादों और जल स्रोतों को उन्हीं के पास बरक़रार रखने के लिये भी रसूलुल्लाह सल्ल० ने लिखित आदेश जारी किये। इस्लामी राज्य की सीमाओं में विस्तार के साथ राज्य के गर्वनरों के साथ पत्र-व्यवहार मामूल का हिस्सा था। जिसमें उन्हें नये क़ानूनों और दूसरे इन्तज़ामी फ़ैसलों से आगाह करना आपेक्षित होता था जबकि क्षेत्रिय कर्मिकों की तरफ़ से कभी-कभी पैदा होने वाली समस्याओं पर मर्कज़ी हुकूमत से रहनुमाई मांगी जाती, उनके जवाबात भी दिये जाते और टैक्सों में रद्दो-बदल समेत दूसरी प्रशासनिक तब्दीलियों से भी उन्हें बाख़बर किया जाता।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुख़तलिफ़ बादशाहों और सरदारों को भी दावती पत्र भिजवाए जिनमें उन्हें इस्लाम क़ुबूल करने की दावत दी गयी, मसलन रोम, और ईरान और हब्शा के बादशाहों को। उनके अलावा छोटे-छोटे राज्यों और हुकूमतों के प्रमुखों को भी इसी तरह के ख़त लिखे गये।

हर एक फ़ौजी अभियान के लिये लड़ाई के अन्त में माले ग़नीमत का भी पूरा रिकार्ड तैयार किया जाता ताकि जंग में हिस्सा लेने वालों को बराबर और इन्साफ़ के मुताबिक़ हिस्सा मिल सके।

ऐसे साक्ष्य हैं कि ग़ुलामों की ख़रीद फ़रोख़्त और उन्हें आज़ाद करने का भी बाक़ाएदा रिकार्ड रखा जाता था। कम से कम ऐसी तीन दस्तावेजों जिनका इजरा ख़ुद आप सल्ल० ने फ़रमाया, हम तक पहुँची हैं।

यहाँ एक अहम वाक़िया क़ाबिल ज़िक्र है। फ़तेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्ल० ने कुछ अहम घोषणायें कीं जिन में से कुछ क़ानूनी किस्म के थे। एक यमन वासी अबू शाह के अनुरोध पर आपके आदेशों की एक प्रति तैयार करके उसके हवाले की गयी।

यहाँ क़ुरआन मजीद के तर्जुमे से सम्बंधित एक वाक़िये का ज़िक्र करना भी मुनासिब होगा। रसूलुल्लाह सल्ल० ने हर मुसलमान के लिये नमाज़ की अदाएगी अरबी ज़बान में ही अनिवार्य क़रार दी थी। कुछ ईरान के फ़ारसी भाषी लोगों ने इस्लाम क़ुबूल किया लेकिन वह अरबी में क़ुरआनी आयतें याद न होने तक नमाज़ की अदाएगी की हीला-हवाली पर आमादा न थे। अतः रसूलुल्लाह सल्ल० की हिदायत पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि० ने जिनका सम्बन्ध ईरान से ही था और जो अब अरबी बख़ूबी सीख चुके थे, अपने नो मुस्लिम साथियों के लिये सूरह फ़ातेहा का फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा कर दिया और वह लोग नमाज़ से सम्बन्धित क़ुरआनी आयतें अरबी में याद होने तक फ़ारसी ज़बान में नमाज़ अदा करते रहे।

रसूलुल्लाह सल्ल० के ज़माने से सम्बंधित ऐसे दस्तावेज़ों की तादाद सैंकड़ों में है।

यह बात क़ाबिल ज़िक्र है कि रसूलुल्लाह सल्ल० अवाम की शिक्षा में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। और आप सल्ल० मदीना आने के बाद फ़रमाया करते थे कि ''ख़ुदा ने मुझे शिक्षक बना कर भेजा

है'' आप सल्ल० ने हिजरत के फ़ौरन बाद सबसे पहला जो काम किया वह मस्जिद की तामीर थी, जिसके एक हिस्से में आप ने सहाबा रज़ि० की एक जमआत के पढ़ाने का इन्तज़ाम किया। यह हिस्सा ''सफ्फ़ाह'' के नाम से मशहूर था जो रात में विश्राम ग्रह के रुप में काम आता और दिन में एक लेक्चर हाल के रुप में, जहाँ हर कोई बैठने और इल्म हासिल करने के लिये आज़ाद था। दो हिजरी में जब जंगे बद्र में कुफ़्फ़ारे मक्का को पराजय हुई और मुसलमानों ने बड़ी तादाद में मुश्रिकों को क़ैदी बना लिया तो रसूलुल्लाह ने एलान किया कि जो क़ैदी पढ़ना-लिखना जानता हो वह दस मुसलमानों को लिखना-पढ़ना सिखा दे तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। (इब्ने हम्बल, इब्न सऊद) क़ुरआन पाक में भी हुक्म दिया गया कि व्यापारिक लेन देन के लिये अनिवार्य है कि उसे दो गवाहों की मौजूदगी में लिख लिया जाए (क़ुरआन :11/282)। ऐसी कोशिशों की बदौलत मुसलमानों में तालीम (साक्षरता) के अनुपात में तेज़ी से बढोत्तरी हुई और यह बात हरगिज़ आश्चर्य की नहीं है कि सहाबाए कराम रज़ि० के अन्दर अपने नबी और रहबर के आदेशों को लिखित रुप में सुरक्षित करने का शौक़ पैदा हो गया। इस हवाले से एक मिसाल निम्नलिखित है।

हज़रत उमर रज़ि० से रिवायत है कि मदीना आने के बाद उनका भी एक अन्सारी के साथ भाई का रिश्ता क़ायम हो गया। (रसूलुल्लाह सल्ल० ने हिजरत के बाद महाजिरों की बहाली और

फ़ौरी माली इमदाद के लिये हर महाजिर को एक अन्सारी यानी मदनी बाशिन्दे से भाई के रिश्ते में जोड़ दिया था जिसे ''मुवाख़ात'' भाई-भाई बना देने का नाम दिया गया) और वह दोनों खजूरों के एक बाग़ में बारी-बारी से काम करते थे। जब उमर रज़ि० काम पर जाते तो उनके दूसरे भाई रसूलुल्लाह की ख़िदमत में हाज़िर होते और जो कुछ वहाँ देखते और सुनते वह शाम को आकर हज़रत उमर रज़ि० को बता देते। इसी तरह जब उनके अन्सारी भाई काम पर जाते तो रसूलुल्लाह सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िरी का सौभाग्य उमर रज़ि० को प्राप्त होता। इस तरह रसूलुल्लाह सल्ल० की मजलिस में जो भी कार्यवाही होती यानी नये क़ानूनों का निफ़ाज़ (क्रियान्वयन) सियासत के मसाएल और सुरक्षा सम्बंधी मालूमात आदि दोनों लोगों के इल्म में आ जातीं जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्ल० के जीवन काल में हदीसों को जमा करने का ताल्लुक़ है तो वाक़ियात ख़ुद ही हक़ीक़त की गवाही देगें।

रसूलुल्लाह सल्ल0 के जीवन काल में हदीसों का संकलन

इमाम तिरमिज़ी की रिवायत है कि एक दिन एक अन्सारी (मदीना वासी) ने रसूलुल्लाह सल्ल० से अपने कमज़ोर याददाश्त की शिकायत करते हुए कहा कि वह आप सल्ल० की नसीहतों को भूल जाता है, जिस पर रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ''अपने दाऐं हाथ से मदद लिया करो।'' (यानी लिख लिया करो)

बहुत से रावियों (तिरमिज़ी, अबू दाउद और दीगर) से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र व बिन अलआस जो एक नौजवान महाजिर थे का यह मामूल था कि जो कुछ आप सल्ल० फ़रमाते वह फ़ौरन लिख लिया करते थे। एक दिन उनके दूसरे साथियों ने उनको टोका और कहा कि रसूलुल्लाह सल्ल० आख़िरकार एक इन्सान हैं। कभी आप सल्ल० खुश होते हैं और मुतमईन और कभी आप सल्ल० दुखी और नाराज़ तो इन दोनों हालतों में आप के मुंह से निकली हुई हर बात लिख लिया जाये मुनासिब नहीं है।

इस पर हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० रसूलुल्लाह सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुए और पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्ल० जो कुछ आप फ़रमाते हैं उसे हम लिख लिया करें? आप सल्ल० ने फ़रमाया ''हाँ'' इस बात को और स्पष्ट करने के लिये अब्दुल्लाह रज़ि० ने दोबारा अर्ज़ किया कि ''या रसूलुल्लाह जब आप सल्ल० खुश हों उस वक्त भी और जब आप सल्ल० नाखुश हों उस वक्त भी''?आप सल्ल० ने फ़रमाया ''हाँ खुदा की क़सम मेरी ज़बान से अदा होने वाला कोई लफ़्ज़ झूठ नहीं।''

हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० ने जो हदीसें जमा कीं उसे ''सहीफ़ा सादिक़ा'' (सच्ची पुस्तक) का नाम दिया। कई नस्लों तक यही संकलन पढ़ाया और फैलाया जाता रहा और यह बाद की बात है कि यह हदीसें हज़रत इब्ने हम्बल आदि द्वारा संकलित हदीसों की बड़ी-बड़ी किताबों में शामिल की गयीं।

अद दारिमी और इब्ने अल हकम से रिवायत है : ''एक बार अब्दुल्लाह (बिन अम्र व बिन अलआस) रज़ि० अपने शिष्यों से बातें कर रहे थे कि किसी ने पूछा ''कौन सा शहर मुसलमान पहले फ़तह करेगें रोम या कुसतुनतुनिया''? हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० ने एक पुराना सन्दूक़ मंगवाया और उसमें से एक किताब बाहर निकाली और उसके पन्ने उलटने के बाद एक जगह से पढ़ा ''एक दिन हम रसूलुल्लह सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर थे और जो कुछ आप सल्ल० फ़रमा रहे थे उसे लिखते जाते थे तो किसी ने आप सल्ल० से पूछा मुसलमान रोम या कुसतुनतुनिया में से पहले कौन सा शहर फ़तह करेगें?'' तो आप सल्ल० ने फ़रमाया : हर कुल के वंशजों का शहर।''

इस रिवायत से यह बात बख़ूबी साबित हो जाती है कि सहाबाए कराम रज़ि० रसूलुल्लाह सल्ल० के जीवन काल में ही आप सल्ल० का फ़रमाया हुआ एक एक लफ़्ज़ लिखा करते थे।

हज़रत अनस रज़ि० का वाक़िया इससे भी ज़्यादा अहम है। आप मदीना के उन चन्द लोगों में से थे जो कमउम्री से ही लिखना-पढ़ना जानते थे। यानी लिखने-पढ़ने की योग्यता सिर्फ़ दस वर्ष की उम्र में मौजूद थी। आपके माता-पिता ने कमउम्री में ही आपको रसूलुल्लाह सल्ल० की ख़िदमत के लिये पेश कर दिया था और आप निजी सेवक और सहायक के तौर पर उम्र भर रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ रहे। आप रज़ि० दिन रात रसूलुल्लाह

सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर रहते। इसलिये आप सल्ल० के कार्यो को देखने और बातों को सुनने के जो मौक़े हज़रत अनस रज़ि० को मिले वह दूसरे सहाबा को नहीं मिले। हज़रत अनस ही थे जिन्होंने यह हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया :

''इल्म को लिख कर हासिल करो''

बाद के ज़माने में हज़रत अनस रज़ि० के एक शिष्य ने रिवायत कीः

अगर हम किसी हदीस के बारे में आग्रह करते तो हज़रत अनस रज़ि० अपनी लिखित दस्तावेज़ खोलते और कहते : ''यह वह हदीसें हैं जिन्हें रसूलुल्लह सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया है और जिन्हें मैंने लिख लिया और फ़िर आप सल्ल0 को सुना कर तसदीक़ भी की कि उनमे कोई ग़ल्ती तो नहीं।''

इस अहम बयान से न सिर्फ़ इस बात की तसदीक़ और पुष्टि हो गयी कि हदीसों के जमा करने का काम आप सल्ल० की जीवन काल में ही शुरू हो गया था बल्कि आप सल्ल० ने उनकी तसदीक़ भी फ़रमाई। इस बयान की तसदीक़ कई राविर्यों (वर्णन कर्ताओं) ने की है मसलन अल हुमुर्ज़ी (वफ़ात ३६० हि०) अल हाकिम (वफ़ात ४०५ हि०) अलख़तीब अलबग़दादी (वफ़ात ४६३ हि०) और हदीस के इन महान विशेषज्ञों ने पहले के विश्वसनीय स्रोतों का हवाला भी दिया।

सहाबाए कराम रज़ि० के दौर में जमा की गयी हदीसें:

रसूलुल्लाह सल्ल० के वफ़ात के बाद सीरते पाक में दिलचस्पी का बढ़ जाना बिल्कुल फ़ितरी था। आपके सहाबियों ने अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के लिये रसूलुल्लाह सल्ल० से सम्बंधित सारी जानकारी जो कुछ वह जानते थे छोड़ गये। जो लोग दायरे इस्लाम में दाख़िल हो रहे थे उनमें अपने नये दीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की बड़ी तड़प थी। सहाबाए कराम अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद दुनिया से रुख़सत होते जा रहे थे और ऐसे लोगों की तादाद धीरे-धीरे घट रही थी जिन्होंने हदीसों को रसूलुल्लाह सल्ल० की ज़बाने मुबारक से ख़ुद सुनी थीं। उनमें से भी कई लोग इन्तेक़ाल कर चुके थे जिन्होंने पहले वर्णन कर्ता से ख़ुद हदीस सुनी थी इसलिये हालात की नज़ाकत को महसूस करतेहुए हदीसों को लिखित रुप में सुरक्षित करने की ओर तवज्जो बढ़ गयी। अतः सहाबाए कराम रज़ि० के द्वारा बयान की गयीं हदीसें बड़ी तादाद में जमा कर ली गयीं। निस्सन्देह यही हदीसें ''बराहे रास्त'' (यानी सीधे नबी सल्ल० से हासिल किया गया इल्म) कहला सकती हैं यानी वह जो सीधे रसूलुल्लाह सल्ल० के ज़बाने मुबारक से सुनी गयी थीं।

जब रसूलुल्लाह सल्ल० ने हज़रत उमर बिन हज़म रज़ि० को यमन का गर्वनत नियुक्त किया तो उन्हें उनकी प्रशासनिक

ज़िम्मेदारियों के बारे में लिखित निर्देश दिये। हज़रत उमर बिन हज़म ने उन दस्तावेज़ों को सुरक्षित कर लिया और उनके अतिरिक्त दूसरे क़बीले (जहीना, जज़म, तयी, सक़ीफ़ आदि के नाम भेजे गये २१ दस्तावेज़ों की प्रतियां भी हासिल कर लीं। उन्हें सरकारी दस्तावेज़ात की हैसियत से एक जगह इकटठा कर लिया। यह दस्तावेज़ात हमें देखने का मौक़ा मिला है। (इब्न तुलुन इल्म अस सईलीन)

सही मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० ने आप सल्ल० के अन्तिम हज के बारे में एक संक्षिप्त पुस्तिका लिखा था जिसमें आप सल्ल० के इस पवित्र यात्रा के पूरे हालात का उल्लेख किया था और आप सल्ल० के उस एतिहासिक ख़ुतबे को भी उसमें शामिल किया था जो आप सल्ल० ने इस मौक़े पर इरशाद फ़रमाया था। कई रावियों ने उनकी एक और पुस्तक 'सहीफ़ाए जाबिर' का भी ज़िक्र किया है। जिसे उनके शिष्य ज़बानी याद किया करते थे। यह रसूलुल्लाह के आदेशों और कार्यकलापों पर आधारित था।

रसूलुल्लाह सल्ल० के दो अन्य सहाबियों समुरा इब्ने जुन्दाब रज़ि० और साद बिन उबैद रज़ि० के बारे में भी रिवायत है कि उन्होंने भी अपने बच्चों के लिये अपनी याददाश्तों को संकलित किया था। अल्लामा हजर का कहना है कि समुरा इब्ने जुन्दाब का संकलित दस्तावेज़ काफ़ी विस्तृत था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ि० ने भी जो रसूलुल्लाह सल्ल० की वफ़ात के वक़्त

बहुत छोटे थे, अपने बुज़ुर्ग सहाबियों से बहुत कुछ सीखा और उनके जमा किये हुये इल्म से इतना कुछ बनाया कि इतिहासकारों का कहना है कि जब उनका इन्तेक़ाल हुआ तो उनकी लिखी हुई किताबें एक ऊँट पर लादी जा सकती थीं। आप सल्ल० के सहाबाए कराम रज़ि० में से महान सहाबी हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि० बहुत बड़े इस्लामी क़ानून-ज्ञाता थे। उन्होंने भी हदीस की एक किताब संकलित किया था जिसे आपके बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान यह संकलन अपने दोस्तों को फ़र्ख़ से दिखाया करते थे। (अलहाकिम अल मुसतद्रक अध्याय हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि०)

बुख़ारी की रिवायत है कि अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ रज़ि०, हज़रत अबू बक्र रज़ि० और हज़रत अल मुग़ीरा बिन शोबाह रज़ि० ख़तो-किताबत के ज़रिये हदीस पढ़ाया करते थे। अगर कोई व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्ल० के बारे में जानना चाहता तो यह लोग उसका जवाब लिखित रुप में दिया करते थे। सरकारी कर्मचारियों को रसूलुल्लाह सल्ल० के नये आदेशों और फ़ैसलों की सूचना देने के लिये भी यही हज़रात ख़त लिखा करते थे।

निम्नलिखित बयान जिसे कई भरोसेमन्द रावियों (मसलन इब्ने अब्दुल बर्र की जामेऊल बयान अल इल्म) ने उल्लेख किया है जो और ज़्यादा मालुमाती और जामेअ है।

एक दिन हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० के एक ख़ास शिष्य ने उनसे कहा आपने ही मुझे फ़लां-फ़लां चीज़ बताई थी। हज़रत अबू

हुरैरह रज़ि० ने जो बज़ाहिर अब बुढापे में थे और याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी थी यह हदीस मानने से इन्कार कर दिया। मगर आपका वह शिष्य अपनी बात पर अटल रहा कि उसने उनसे ही यह हदीस सुनी थी जिस पर हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने जवाब दिया ''अगर तुम्हारी बात सही है तो यह हदीस ज़रुर मेरे संकलन में शामिल होगी।'' उसके बाद हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० उसे अपने घर के अन्दर ले गये और ''रसूलुल्लाह सल्ल० की हदीसों से सम्बन्धित'' कई किताबें उसे दिखायीं और आख़िरकार शागिर्द (शिष्य) ने उन किताबों में से वह हदीस तलाश कर ली। उस पर हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने कहा ''मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुमने यह हदीस मुझसे सुनी है तो ज़रुर मेरे लिखित सामग्री में होगी।''

यह बात क़ाबिल ज़िक्र है कि शागिर्द की रिवायत में ''कई किताबों'' का ज़िक्र है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० का इन्तक़ाल ५८ हिजरी में हुआ। अपने एक शागिर्द हमाम इब्ने मुनब्बा को उन्होंने १३८ हदीसों का एक संकलन लिखवाया (या लिखा हुआ दिया) यह संकलन जिसका सम्बन्ध पहली सदी हिजरी के पूर्वार्द्ध से ही सुरक्षित है। जिसकी मदद से हम बाद के संकलनों का उससे मिलान कर सकते हैं और उससे इस बात की भी तसदीक़ होती है कि पूर्वजों ने आने वाली नस्लों के लिये हदीसों को इन्तेहाई सावधानी और सर्तकता से सुरक्षित रखा था।

अल ज़हबी (तज़्किरा अलहुफ्फ़ाज़) बयान करते हैं पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० की ५०० हदीसों पर आधारित एक संकलन अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ि० के हवाले किया मगर अगले दिन उसे वापिस ले कर यह कहते हुए नष्ट कर दिया ''मैंने जो समझा वह लिख लिया था लेकिन हो सकता है कि अल्फ़ाज़ हूबहू वह न हों जो आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाए थे। जहाँ तक हज़रत उमर रज़ि० का इस मामले से ताल्लुक़ है, मामार बिन राशिद का बयान है कि हज़रत उमर रज़ि० ने अपने ख़िलाफ़त काल में एक बार सहाबा रज़ि० से हदीसों को जमा करने के बारे में मशविरा किया। सारे सहाबियों ने उसके हक़ में राय दी। मगर हज़रत उमर रज़ि० को इतमिनान न हुआ और आप बराबर एक महीने तक अल्लाह से रहनुमाई और मार्ग दर्शन के लिये दुआ करते रहे। आख़िरकार आपने यह काम न करने का फ़ैसला किया और कहा ''पिछली क़ौमों ने ख़ुदाई किताबों को छोड़ कर सिर्फ़ अपने रसूलों की सुन्नत को अपना लिया और मैं नहीं चाहता कि अल्लाह की किताब क़ुरआन मजीद और रसूलुल्लाह सल्ल० की हदीस के बीच कोई भ्रम पैदा करने वाली स्थिति हो।''

ताज़ा शोध कार्यों से यह प्रमाणित होता है कि ऐसे सहाबाए कराम रज़ि० की तादाद पचास से कम नहीं है जिनके बारे में यह तसदीक़ मौजूद है कि उन्होंने हदीसों को लिखित रुप से जमा की थीं, मगर यहाँ उनकी तफ़सील देने की गुन्जाइश नहीं।

हदीसों के लिखने पर पाबन्दी का मामलाः

हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर रज़ि० से सम्बन्धित उपरोक्त दोनों रिवायतों की अहमियत यह है कि उससे इस बात की वास्तविक स्थिति ज़ाहिर हो जाती है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने हदीसों को लिखने से मना कर दिया था, अगर इस पाबन्दी का एलाने आम होता तो यह दोनों महान सहाबी कभी हदीसों को जमा करने के बारे में सोचते भी न और जब उन्होंने हदीसों के लिखने के ख़िलाफ़ राय दी तो उन्हें उसका जवाज़ पेश करने की ज़रूरत ही न थी बल्कि वह लोगों को ख़ामोश करने के लिये सीधी बात करते कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इस काम से मना फ़रमाया है।

जिन सहाबाए कराम से यह रिवायत मन्सूब है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने क़ुरआन मजीद के सिवा कोई भी चीज़ लिखने से मना फ़रमाया था (यानी मज़हबी हवाले से) वे सहाबी हैं हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि०, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि० और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि०। इस हदीस के बारे में यह उल्लेख नहीं मिलता कि किस मौक़े पर आप सल्ल० ने यह इरशाद फ़रमाया। यह बात ध्यान में रहनी चाहिये कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि० का शुमार कम उम्र सहाबियों में होता था। ५ हिजरी में उनकी उम्र मुश्किल से १५ साल के लगभग थी। हां यह हो सकता है, वह ग़ैर मामूली ज़हीन हों और यह भी मुम्किन है रसूलुल्लाह सल्ल० ने हिजरत के प्रारम्भिक काल में उन्हें हदीसों के लिखने से मना कर दिया हो।

जहाँ तक हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० का ताल्लुक़ है हमने देखा कि उन्होनें तो ख़ुद हदीसों की ''कई किताबें'' संकलित कर रखी थीं। तारीख़ में उनका ज़िक्र एक मुतक़्क़ी परहेज़गार और सच्चे व्यक्ति के तौर पर होता है। और यह बात कल्पना से परे है कि उन जैसे साहबे किरदार और परहेज़गार शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्ल० के एक स्पष्ट आदेश की ख़िलाफ़वरज़ी की हो। अगर पहली रिवायत दुरूस्त है तो फिर सिवाए इसके और कोई दलील नहीं कि उन्होंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्ल० की ज़बाने मुबारक से पाबन्दी उठाने का हुक्म सुन लिया था।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० का आबाई वतन यमन था और वह ७ हिजरी में मदीना आए और इस्लाम क़ुबूल करने के बाद यहीं के हो रहे। मुम्किन है कि उनके क़ुबूले इस्लाम के बाद कुछ दिनों तक (कि अभी वह नये ही थे) रसूलुल्लाह सल्ल० ने उन्हें यही हुक्म दिया हो कि क़ुरआन मजीद के सिवा कुछ न लिखें। फिर बाद में जब वह पक्के हो गये और क़ुरआन मजीद और हदीस में फ़र्क़ को समझने लगे तो यह पाबन्दी ख़त्म हो गयी हो। एक और महत्वपूर्ण हक़ीक़त भी क़ाबिल ग़ौर है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से भी यह बात मन्सूब है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल० का हवाला दिये बग़ैर अपनी ज़ाती राय दी थी कि हदीसों को लिखित रुप में जमा नहीं किया जाना चाहिये। मगर जैसा कि ऊपर ज़िक्र आ चुका है कि ख़ुद उन्होंने इतनी बडी तादाद में हदीसें बयान कीं कि उन तमाम सहाबा रज़ि० से आगे निकल गये जिन्होंने लिखित रुप में हदीसें जमा कीं।

इन हज़रात के क़ौल और अमल (कथन एवं कार्य) में पाया जाने वाला अन्तर से जिनके तक़्वा और परहेज़गारी का पूरा ज़माना गवाही दे और जो फ़रमाने रसूल की पैरवी को मक़सदे ज़िन्दगी समझते हों हमारे इस ख़्याल की ताईद होती है कि हदीसों को लिखित रुप में संकलित करने की मनाही किसी विशेष परिस्थिति में थी जिसकी तफ़सील हम तक नहीं पहुँच सकी। और इस पाबन्दी का दायरा सीमित था। इस लिये हमारे लिये बेहतर है कि रसूलुल्लह सल्ल० के दोनों आदेशों को रद्द करने के बजाए उनमें ताल-मेल बिठाना चाहिये।

इसके तीन स्पष्टीकरण हमारे ज़हन में आते हैं:

(१) हदीस लिखने की पाबन्दी कुछ ऐसे लोगों पर थी जिन्होंने नया-नया लिखना-पढ़ना सीखा था या उन्होंने अभी इस्लाम क़ुबूल किया था और वह अभी क़ुरआन और हदीस के दरम्यान फ़र्क करने की योग्यता नहीं रखते थे और यह पाबन्दी बाद में यह सलाहियत और योग्यता पैदा हो जाने पर उठा ली गयी मिसाल के तौर पर अबू हुरैरह रज़ि० यमन से आये थे और मुम्किन है वह मुसनद और ''हमूराई'' शैली पर तो महारत रखते हों मगर मक्का (और फिर मदीना) में प्रचलित अरबी लिपी से अभी अपरचित हों।

(२) यह भी मुम्किन है कि पाबन्दी सिर्फ़ यह रही हो कि उन काग़ज़ों पर हदीसें न लिखी जाऐं जिन पर क़ुरआन मजीद

लिखा जाता था ताकि क़ुरआन मजीद और उसकी व्याख्या (हदीस) आपस में मिल न जायें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० उसकी ओर इशारा करते हैं कि हमने हज़रत उमर रज़ि० का एक आदेश देखा है जिस में हदीस को इस तरह लिखने को मना किया गया था।

(३) यह भी सम्भव है कि रसूलुल्लह सल्ल० ने अपने किसी ख़ास ख़ुत्बे को लिखने के बारे में की हो। मिसाल के तौर पर जब आप सल्ल० ने इस्लाम के भविष्य और आइन्दा की रुहानी और सियासी सफ़लताओं के बारे में भविष्यवाणी की हो और इसका मक़सद यह हो सकता है कि इन कामयाबियों की पैग़म्बराना भविष्यवाणियों के होते हुए मुसलमानों में जद्दो जहद की क़ूव्वत ठंडी न पड़ जाए। कुछ और भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। लेकिन यहाँ यह तीनों ही काफ़ी हैं।

बाद की सदियों में :

शुरुआती दौर में हदीसों के संकलन संक्षिप्त और व्यक्तिगत थे। हर एक सहाबी रज़ि० ने अपने अपने याददास्तों को लिख लिया करते थे, दूसरी नस्ल में जब इल्म हासिल करने वालों ने एक से ज़्यादा उस्तादों के लेक्चर सुने तो अलग-अलग व्यक्तियों के पास मौजूद यादादश्तों को इकटठा करके और ज़्यादा मोटे संकलन तैयार करना मुम्किन हो गया। चन्द पीढ़ियों बाद सहाबाए कराम रज़ि० के सारे आलेखों को इकटठा कर लिया गया

था। और फिर उन हदीसों को विषयानुसार तैयार करने की भी कोशिश की गयीं ताकि अदालती क़ानून और नियमों के बारे में हदीस से फ़ायदा उठाया जा सके। क़ुरआन मजीद के समान ही हदीसों को याद करने का काम भी शुरू हो गया और इस मक़सद के लिये हदीस की लिखित सामग्री ही ज़रिया बनी। योग्य और प्रभावित उस्तादों से तालीम हासिल करना लाज़मी शर्त का दर्जा रखती थी। इस तरह हदीसों को सुरक्षित करने का यह तेहरा तरीक़ा बेशतर सूरतों में अपनाया गया। कुछ मौकों पर उससे कुछ कम पर भी की गयी और इसी बिना पर हदीस के रावियों की अहमियत और मान्यता का निर्धारण हुआ।

रसूलुल्लाह सल्ल० की वफ़ात का अभी ज़्यादा समय नहीं गुज़रा था कि हदीस नोट करने वालों ने हर हदीस के ज़िक्र के साथ रसूलुल्लह सल्ल० तक नस्ल दर नस्ल सारे रावियों (वर्णनकर्ताओं) के नाम लिखने को मामूल बना लिया था। मिसाल के तौर पर इमाम बुख़ारी इस तरह बयान करते थे कि मेरे उस्ताद इब्न हम्बल ने कहा कि उन्होंने अपने उस्ताद अब्दुल रज़्ज़ाक़ से यह हदीस सुनी और उनका कहना था कि उन्होंने यह हदीस मअमर बिन रशीद से सुनी जिन्होंने हम्माम बिन मुनब्बा से और उनसे अबू हुरैरह रज़ि० ने बयान की, जिन्होंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्ल० की ज़बाने मुबारक से यह हदीस सुनी। इस तरह रसूलुल्लाह सल्ल० का कथन चन्द शब्दों का होता मगर हदीस नोट करने वालों के नामों का लम्बा सिलसिला होता। इमाम बुखारी रह० की संकलित

हदीसें ''सही''(बुख़ारी) के नाम से हैं, और दूसरे लोगों के यहाँ भी यही तरीक़ा था, मिसाल के तौर पर इब्ने हम्बल रज़ि० की ''मुसनद'' अब्दुल रज़्ज़ाक़ की ''मसन्नफ़'' मअमर की ''जामेय'' और हम्माम बिन मुनब्बा का ''सहीफ़ा'' जिसे हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने उन्हें लिखवाया। हदीस बयान करने वालों की श्रृंखला सारे संकलनों में मौजूद है जो ख़ुश क़िसमती से ठीक उन्हीं अल्फ़ाज़ में हम तक पहुँचे हैं। इतने प्रभावित स्रोतों व माध्यम की मौजूदगी में फ़र्ज़ी बातें करना महज़ बेवकूफ़ी है। मिसाल के तौर पर यह कहना कि इमाम बुख़ारी रह० ने ख़ुद हदीसें गढ़ करके रसूलुल्लाह सल्ल० से जोड़ दीं या यह कि ख़ुद ही वह स्रोतों की फ़र्ज़ी श्रंखला बना डाली या ऐसी सुनी सुनाई बातों को इकटठा कर उन्हें हदीसे रसूल (सल्लाहुअलैहवस्सलम) क़रार दे दिया। (नउज़ बिल्लाह)

हासिले बहस (नतीजा) :

हदीसों को सुरक्षित करने के ये तीनों तरीक़े यानी याद करने, लिखित रुप में लाने और प्रभावित उस्तादों की ज़ेरे निगरानी हदीसों का अध्ययन करने के नतीजे में हर तरीक़ा दूसरे को मज़बूत करता है। इस्लाम इन तीनों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू से अब तक अपनी असल हालत में बरक़रार रहा और जैसा कि क़ुरआन के बारे में यह सच है कि यह अल्लाह का कलाम है उसी तरह यह भी सच है कि हदीसों से मुराद है आप सल्ल० के

कथनों, आप सल्ल० के कार्यों और आप सल्ल० के सहाबाए कराम रज़ि० के वह कार्यों और कथनों पर आपकी खामोशी आपकी मन्ज़ूरी है।

यह बात क़ाबिले ज़िक्र है कि एक पैग़म्बर की हैसियत से आप सल्ल० ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की और यह हक़ीक़त है कि १० हिजरी में अन्तिम हज के मौके पर आप सल्ल० ने मैदाने अरफ़ात में एक लाख ४० हज़ार मुसलमानों के विशाल सम्मेलन को सम्बोधित किया। यह वह लोग थे जो हज पर आऐ थे, जबकि और मुसलमान उनके अतिरिक्त थे जो हज करने नहीं आ सके थे। सहाबा कराम रज़ि० की जीवनी लिखने वालों ने इस बात की तसदीक़ की है कि एसे सहाबा रज़ि० की तादाद जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल० की पाकीज़ा ज़िन्दगी के किसी एक वाक़िये का बयान किया, एक लाख से ज़्यादा है। यक़ीनन उसमे तकरार (पुनरावृति) का होना निश्चित है मगर एक वाक़िया का कई लोगों से बयान उसके सही होने की तसदीक़ है। हमारे पास (तकरार को हटा करके) तक़रीबन (१०) हज़ार हदीसें मौजूद हैं और उसमें आप सल्ल० के जीवन के सारे पहलू शामिल हो गये हैं। उसमें उम्मते मुस्लिमा के दीनी और दुनियावी दोनों के लिये आप सल्ल० की तरफ़ से रहनुमाई और हिदायत मौजूद है।